DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लाक-3, तृतीय/चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

Phone : 0771- 2221376, https://dte.cg.gov.in/#/, Email-cgdtecounselling@gmail.com

:: सत्र 2026-27 में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन कॉउंसिलिंग की सूचना ::

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन कॉउंसिलिंग द्वारा होगा। इस हेतु अभ्यर्थी का वेब साइट https://dte.cg.gov.in/#/ एवं https://cgdte.admissions.nic.in/ पर उपलब्ध कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि./42 अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023 में प्रकाशित निम्न प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता होना अनिवार्य है।

1. छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मेसी) एवं डिप्लोमा फार्मेसी (डी. फार्मेसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023, 2. छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम. फार्मेसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023

ऑनलाइन कॉउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया का अवलोकन भी उपरोक्त वेब साइट के माध्यम से किया जा सकता है, तत्संबंधी तिथियॉं निम्नानुसार है।

	प्रथम चरण हेतु तिथियाँ					द्वितीय चरण हेतु तिथियाँ					संस्था स्तर हेतु तिथियाँ		
पाठ्यक्रम	पंजीयन (Registration)	मेरिट जारी	दावा आपत्ति	आबंटन/ रिजल्ट (Allotment/ Result)	प्रवेश (Admission)	पंजीयन (Registration)	मेरिट जारी	दावा आपत्ति	आबंटन/ रिजल्ट (Allotment/ Result)	प्रवेश (Admission)	पंजीयन (Registration)	मेरिट जारी	प्रवेश ¼Admission½
1.Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.) 2. Diploma in Pharmacy (D.Pharm.) 3. Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.) Lateral Entry 4.Master of Pharmacy (M. Pharm.)	01st September 2026 10:00AM से 05th September 2026 11:59PM तक	06th September 2026 05:00PM बजे	07th September 2026 11:59PM तक	08th September 2026 05:00PM बजे	09th September 2026 10:00AM से 11th September 2026 05:30PM तक	13th September 2026 10:00AM से 16th September 2026 11:59PM तक	17th September 2026 05:00PM बजे	18th September 2026 11:59PM तक	19th September 2026 05:00PM बजे	20th September 2026 10:00AM से 22nd September 2026 05:30PM तक	24th September 2026 10:00AM से 26th September 2026 11:59PM तक	27th September 2026 05:00PM बजे	1- मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर आबंटन हेतु अवसर लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में 28th September 2026 प्रातः 10:00AM उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 2-संस्था द्वारा आबंटित सीटों पर प्रवेश लेने की कार्यवाही 28th September 2026 01:00PM से 29th September 2026 01:00PM तक " की जाएगी। 3-यदि संस्था में सीटें रिक्त रहती हैं तो 29th September 2026 अपराह्न 01:30PM बजे से 30th September 2026 अपराह्न 05:30PM बजे तक निम्नलिखित सभी अभ्यर्थीयों को मेरिट सूची के अनुसार अवसर प्रदान किया जाएगा – जो दिनांक 28th September 2026 को (क) उपस्थित नहीं हो पाए (अनुपस्थित)। (ख) उपस्थित हुए लेकिन उन्हें आबंटन नहीं मिला। (ग) सीट आवंटित/प्रवेशित है परंतु वे अपने उच्च वरीयता (Higher Preference) विषय/विकल्प का चयन करना चाहते हैं।

सामान्य निर्देश:-

1. प्रथम चरण की कॉउंसिलिंग के उपरांत पर्याप्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही द्वितीय एवं तृतीय चरणों की कॉउंसिलिंग करायी जायेगी तथा प्रत्येक चरण को अपने आप में एक पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया माना जाएगा ।

2. काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्राविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेष हेतु संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा। सत्यापन उपरांत स्थानांतरण प्रमाण पत्र /चरित्र प्रमाण पत्र एवं माइग्रेसन प्रमाण पत्र को छोड़ कर संस्थाए अभ्यर्थी का मूल दस्तावेजों वापस करेंगे ।

3. एक पाठ्यक्रम हेतु एक अभ्यर्थी से संबंधित मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं भर पा रहा है। तो वह अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों में अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाकर अपनी समस्या का निदान कर सकता है।

4. कॉउंसिलिंग के प्रत्येक चरण हेतु अभ्यर्थी को पृथक से आवेदन करना होगा,

5. द्वितीय चरण के काउंसलिंग में भाग लेने (रजिस्ट्रेशन करने) पर, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी संस्था में प्रथम चरण प्रवेश में लिया हुआ है, तो उनका प्रथम चरण का प्रवेश स्वतः निरस्त

6. संस्था स्तर की काउंसिलिंग में, अभ्यर्थी को किसी एक संस्था हेतु ही अपने विकल्प चयन करने की छुट होगी । अभ्यर्थी जिस संस्था का चयन कर रहा है, उस संस्था में उपलब्ध अधिक से अधिक विषय चयन कर सकता है। अभ्यर्थी जिन विषयों के लिए विकल्प भरेंगे, उन्ही विकल्प हेतु आवंटन किये जाने के लिए विचार किया जा सकेगा ।

7. संस्था स्तर की काउंसिलिंग हेतु आवेदन करने पर, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी संस्था में प्रवेश लिया हुआ है, तो वह तब तक निरस्त नहीं होगा, जब तक की अभ्यर्थी संस्था स्तर की काउंसिलिंग में प्रवेश नहीं लेगा ।

8. रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन भी अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र एवं प्रवेश हेतु संस्थाएं खुली रहेंगी।

9. ऑनलाइन कॉउंसिलिंग से संबंधित जानकारी/दावा आपत्ति हेतु नियंत्रण कक्ष, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, कक्ष क्रमांक-03, ब्लॉक-3, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2221376 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है या cgdtecounselling@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़